न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– अजय कुमार सिंह–प्रथम, एच.जे.एस. (UP-2009)
CNR No. -UPHP010042772026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1229 सन 2026

अंकुर पुत्र अशोक निवासी ग्राम गालन्द, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अन्तर्गत धारा–190, 191(2), 191(3), 126(1), 103(1), 324(4), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. थाना–पिलखुवा, जिला– हापुड़। मुकदमा अपराध संख्या 208/2026

दिनांकः 30.06.2026:–

1. अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 208 सन् 2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 126(1), 103(1), 324(4), 3(5), 61(2) बी.एन.एस., थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी मुकदमा श्रीमती मधु द्वारा दिनांक 12.05.2026 को थाना पिलखुवा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि प्रार्थिनी ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा जिला हापुड की निवासी है। प्रार्थिनी के पुत्र अतुल पुत्र योगेन्द्र से गाँव के कुछ लोग रंजिश मानते हैं तथा मुकदमेबाजी भी चल रही है तथा एक प्लाट को लेकर मन्जीत पुत्र जयवीर व नवीन तोमर पुत्र कालू व ब्रजमोहन पुत्र सरनाम व श्रीपाल उर्फ पप्पू पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम गालन्द कुछ दिनों से धमकी भी दे रहे थे। दिनांक 11.05.2026 को रात्री करीब 10.45 बजे प्रार्थी का पुत्र रिलायन्स रोड पर चकना फास्ट फूड से अपनी कार स0– UP-37-AB-7100 से अपने साथी अशोक पुत्र जयसिंह के साथ गाँव को लौट रहा था कि जैसे ही गाँव गालन्द को जाने वाली रोड पर जिम के नजदीक पहुँचा तो पीछे से एक कार ने ओवरटेक करके अतुल की गाडी को रोक लिया, कार से (1) नवीन तोमर पुत्र कालू, (2) ब्रजमोहन पुत्र सरनाम, (3) मन्जीत पुत्र जयवीर व (4) श्रीपाल उर्फ पप्पू पुत्र जयपाल निकले, जिनके हाथों में तमन्चा व पिस्टल थी जिनको देखकर अशोक पुत्र जयसिंह डर के कारण कार से निकलकर भागा तथा कुछ दूरी पर रूककर देखा कि चार बदमाश अज्ञात किस्म के लड़के मोटर साईकिल पर भी आये जिन पर भी तमन्चा थे सभी ने अतुल पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई नवीन तोमर ने अतुल की साईड का शीशा तोडकर अतुल की छाती में गोली मारी। सभी ने मिलकर गाडी को भी तोड़ा इतने में ही मोटर साईकिल पर अनूप तोमर पुत्र रामभूल भी आ गये जिन्होंने भी घटना को देखा है। उक्त सभी अतुल पर गोली चलाकर व गाड़ी को तोडकर मौके से भाग गये। अतुल को घायल अवस्था में पहले रामा अस्पताल व वहाँ से सर्वोदय अस्पताल गाजियाबाद में लेकर गये तथा अतुल की मृत्यु हो गयी है। उक्त नवीन तोमर व मन्जीत व ब्रजमोहन व श्रीपाल उर्फ पप्पू का अपराधिक इतिहास है तथा हिस्ट्रीशीट भी खुली हुई है। इन सभी का गाँव में भी भय व आतंक है तथा मुकदमेबाजी व रंजिश के कारण मेरे पुत्र अतुल की हत्या की गयी है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है वह कतई निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त मुकदमें से किसी भी प्रकार कोई लेना देना नही है। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त का कोई नाम नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्त की कंफेशन स्टेटमेंट में आया है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी मौके से नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त किसी प्रकार के किसी भी अपराधिक षडयंत्र में शामिल नहीं रहा है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार रामपुर में वर्तमान में और घटना के समय जेल आरक्षी के पद पर तैनात थाआवेदक/अभियुक्त घटना के समय

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 16:44:59 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Hapur

व दिनॉक से पूर्व अपनी डियूटी जिला कारागार रामपुर में तैनात था। थाना हाजा पुलिस के द्वारा लगाया गया फर्जी मुकदमा कतई झूठा है, जिससे आवेदक/अभियुक्त किसी प्रकार का कोई लेनोदेना नही है। थाना हाजा की पुलिस ने आवेदक/अभियुक्त को एक साजिश के तहत जानबूझकर झूठा फंसाया है। आवेदक/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस ने दिनांक 14.05.2026 को समय शाम 05.30 बजे लगभग जिला कारागार रामपुर से पूछताछ के बहाने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी 17.05.2026 की दर्शायी गयी है। जिला कारागार अधीक्षक रामपुर के मोबाईल पर पुलिस अधीक्षक हापुड के द्वारा सी०यू०जी० नम्बर 9454402428 से समय करीब 19.40 बजे फोन आया कि श्री अंकुर तोमर जेल वार्डर को पूछताछ हेतु थाना पिलखुवा की पुलिस के द्वारा ले जाया गया है और उनके स्थान पर किसी अन्य जेल वार्डर की डियूटी लगा दी जाये। (कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार रामपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उत्तर प्रदेशे लखनऊ की प्रतिलिपि संलग्न है) थाना हाजा की पुलिस ने आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 14.05.2026 को गिरफतार करके रामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत किया था। रामपुर क्षेत्राधिकारी के आदेश पर दिनांक 14.05.2026 को शाम लगभग 6.30 बजे होटल रेडीऐन्स रामपुर में कमरा नं० 308 में थाना हाजा पिलखुवा की पुलिस को एक कमरे की व्यवस्था करायी गयी। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 14.05. 2026 से दिनांक 15.05.2026 तक होटल रेडीऐन्स रामपुर में अवैध गिरफतार करके रखा गया। आवेदक/अभियुक्त को जिला कारागार रामपुर से बिना जेल अधीक्षक की अनुमति के ही बिना सूचना दिये थाना हाजा की पुलिस ने गिरफतार किया। किसी भी प्रकार की कोई सूचना जेल के उच्चाधिकारियो नहीं दी गयी। दिनांक 15.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त को सुबह 10.30–11.00 बजे लगभग होटल रेडीएस में रहे जिसकी विडियों रिर्कोडिंग भी होटल में उपलब्ध है। दिनांक 17.05.2026 को थाना हाजा की पुलिस ने सुबह लगभग 11:00 बजे एच०पी०डी०ए० की पुलिस चौकी पर शाम तक अवैध कस्टडी में लाकर बंद कर दिया। आवेदक/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस ने 17.05.2026 की गिरफ्तारी दर्शाकर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया। आवेदक/अभियुक्त के बारे जानकारी लेने हेतु पुलिस अधिक्षक हापुड़ द्वारा जेल अधिक्षक रामपुर से फोन के माध्यम से दिनांक 14.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त की जानकारी ली गई, जिसका रिकॉर्ड भी जिला कारागार रामपुर के रजिस्टर में पंजीकृत है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आवेदक/अभियुक्त कतई निर्दोष है। इसका घटना से और जिस दिनांक को घटना घटी है उस दिनांक और समय से आवेदक/अभियुक्त का मौजूद नहीं होना यह दर्शाता है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चम न्यायालय ने कई बार अपनी फाइडिंग्स में कहा है कि जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम। आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित एवं माकूल जमानत देने को तैयार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र अतुल की हत्या का आपराधिक षडयंत्र रचा और उसी आपराधिक षडयंत्र के तहत सहअभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पुत्र की गाड़ी को रोककर, उसकी गाड़ी के शीशे आदि तोड़कर वादिनी मुकदमा के पुत्र के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या की गयी तथा भटकाने के लिए सहअभियुक्त अशोक द्वारा वादिनी मुकदमा के तहरीर पर साईन कराकर घटना के समय अपने को वहां दिखाकर मुकदमा लिखाया गया। दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा व मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम के अनुसार उसके शरीर पर 12 चोटें आई हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकार उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र अतुल की हत्या का आपराधिक षडयंत्र रचा और उसी आपराधिक षडयंत्र के तहत सहअभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पुत्र की गाड़ी को रोककर, गाड़ी के शीशे आदि तोड़कर वादिनी मुकदमा के पुत्र के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या की तथा भटकाने के लिए सहअभियुक्त

अशोक द्वारा वादिनी मुकदमा के तहरीर पर साईन कराकर घटना के समय अपने को वहां दिखाकर मुकदमा लिखाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक अतुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 12 चोटें पायी गयी है। डॉक्टर की राय में मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व अग्नेास्त्र से लगी चोट के कारण होने वाला रक्तस्राव व सदमे से हुई है। दौरान विवेचना विवेचक को दिए गए बयानों में साक्षीगण मधु व पिंकी द्वारा आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि की है। दौरान विवेचना सहअभियुक्तगण लवकुश तोमर, कपिल तोमर व गौरव तोमर को गिरफ्तार किया गया तथा उनके संयुक्त कब्जे से तीन अदद तमंचे नाजायज 315 बरे, 5 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 8 अदद जिन्दा कारतूस 315 बारे व हत्या की घटना में प्रयुक्त टोयटाा कार बरामद होना बताया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण की सी0डी0आर0 के साक्ष्य का भी संकलन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जघन्य है। वर्तमान मामले की विवेचना की प्रचलित है तथा कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन किया जाना अभी शेष है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **अंकुर पुत्र अशोक** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 30.06.2026

(अजय कुमार सिंह प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।